उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
तृतीय तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ – 226010

संख्या-120/06/कम्प्यूटर अनुभाग(बारह)/2023-26/16(4)/2016

लखनऊ : दिनांक : 27 जून, 2026

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-16(4)/2016 के अंतर्गत निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन एन०टी०सी०/एन०ए०सी० अर्हता धारक हेतु विज्ञापित अनुदेशक प्लम्बर के 03 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु कुल 28 अभ्यर्थी अर्ह /औपबंधिक रूप से अर्ह पाए गए हैं।

शार्टलिस्टिंग का आधार- नियमावली / विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य अर्हता व अधिमानी अर्हता एवं प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में निर्धारित व्यवस्था-

अनिवार्य अर्हता-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो,

2. (1) पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे।

(2) पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सिविल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से सिविल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे।

अधिमानी अर्हता- शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मेथोडोलोजी / प्रिंसीपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी० (पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।

अनुभव - अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए, किसी अभ्यर्थी, जिसकी प्राविधिक अर्हता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र है, के पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक / प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक / प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारकों के लिए 02 वर्ष की होगी और डिग्री (उपाधि) धारकों के लिए 01 वर्ष ही होगी।

अधिमानी अर्हताः- उपर्युक्त पद के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट- विज्ञापन के प्रस्तर-9 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक) सेवानियमावली, 2014 के भाग-5 में सीधी भर्ती प्रक्रिया नियम-16 (3) (क) के अधीन प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक प्रदान कर श्रेष्ठता सूची तैयार की गई है।

मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार एन०टी०सी०/एन०ए०सी० अर्हता धारक हेतु श्रेणीवार विज्ञापित 03 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड / चिन्हित अभ्यर्थियों का कटऑफ

लम्बवत आरक्षण की स्थिति

श्रेणी	साक्षात्कार हेतु चिन्हित अंतिम अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी का प्राप्तांक प्रतिशत/कटऑफ
अनारक्षित	उपलब्ध समस्त अर्ह अभ्यर्थी
अनुसूचित जाति	39.63
अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित श्रेणी के सापेक्ष अंतिम अर्ह अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत तक

नोट- क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत कोई पद आरक्षित नहीं है तथा डिप्लोमा/डिग्री अर्हता धारक हेतु कोई पद विज्ञापित नहीं हैं।

अवगत कराना है कि अनुदेशक प्लम्बर के एन०टी०सी०/एन०ए०सी० अर्हता हेतु विज्ञापित 03 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित कुल 28 अभ्यर्थियों में से संलग्न सूची में चिन्हित 06 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से साक्षात्कार की सूची में सम्मिलित किया गया है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने अथवा तथ्य स्पष्ट किए जाने के उपरांत ही साक्षात्कार में प्रतिभाग करने की अनुमति सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त प्रदान की जानी है।

साक्षात्कार की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु अर्ह/ औपबंधिक रूप से अर्ह उक्त 28 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 16.07.2026 की द्वितीय पाली में आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाना निर्धारित है। साक्षात्कार के विस्तृत कार्यक्रम की सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी।

उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले व विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता/अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि अनुदेशक प्लम्बर के एन०टी०सी०/एन०ए०सी० अर्हता धारक हेतु विज्ञापित 03 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाला यदि कोई आवेदक उक्त पद की अनिवार्य अर्हता धारित करता है तथा उसका प्राप्तांक प्रतिशत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित प्राप्तांक प्रतिशत / कटऑफ के बराबर या अधिक है तथा उस अभ्यर्थी का नाम साक्षात्कार हेतु अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो उक्त अभ्यर्थी, दिनांक 05 जुलाई, 2026 की सायं 05:00 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, पंचम तल पर स्थित केन्द्रीय प्राप्ति व प्रेषण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता/अधिमानी अर्हता व अनुभव संबंधी समस्त अभिलेखों की छायाप्रति सहित उपलब्ध करा सकता है। प्रत्यावेदन/अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत अर्ह पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मा० आयोग के अनुमोदनोपरांत साक्षात्कार हेतु निर्धारित उक्त तिथि में ही आयोजित किया जायेगा । दिनांक 05 जुलाई, 2026 की सायं 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के प्रस्तर-6 में प्रकाशित विवरण के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम आवेदन की पंजीकरण संख्या के सापेक्ष ही प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र / शैक्षिक अभिलेख पर विचार किया जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त।

(हरिकेश चौरसिया)
सचिव।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

विज्ञापन संख्या–16(4)/2016

अनुदेशक प्लम्बर

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक प्लम्बर पद के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु चिन्हित अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची

पंजीकरण संख्या

52900076115 PROVISIONAL
52900077488
52900091318
52900131856
52900183512
52900203259 PROVISIONAL
52900208398

52900215404
52900221405
52900246963
52900269928
52900273046
52900274346
52900307759
52900411549 PROVISIONAL

52900428202
52900452227
52900518444
52900520625
52900531506
52900566487
52900579542
52900640567
52900701266

52900777001 PROVISIONAL
52900816814
52900996439 PROVISIONAL
52901034125 PROVISIONAL

कुल–28